उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः 18 /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) कार्यालय ज्ञाप संख्या–78/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च, 2009 तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों द्वारा यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की पूर्व में निर्धारित दरों को अतिक्रमित करते हुये यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से व्यवस्था उपबन्धित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) साधारण यात्रा भत्ता।

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	वेतन स्तर	यात्रा की श्रेणियां			प्रदेश के भीतर		प्रदेश के बाहर		सड़क किलो मीटर भत्ता (प्रति कि.मी.)	प्रतिदिन की स्थानीय यात्राओं (केवल प्रदेश के बाहर के मामलों में लागू) हेतु अधिकतम सीमा
		वायुयान	रेल	सड़क	अवस्थापन (Accomodation)	दैनिक भत्ता	अवस्थापन (Accomodation)	दैनिक भत्ता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16 एवं उच्च	बिजनेस क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस/वोल्वो	2000	700	6500	800	12	वास्तविक
2	13 ए. से 15	इकोनोमी	ए.सी. प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस/वोल्वो	1500	600	4500	700	10	वास्तविक
3	10 से 13	–	ए.सी. टू टियर/ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	1000	450	2250	500	08	200
4	6 से 9	–	ए.सी. थ्री टियर/ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	400	350	750	400	07	150
5	1 से 5	–	स्लीपर क्लास/साधारण चेयर कार	साधारण बस	250	250	450	300	07	100

(1) ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हों वहां पर ए.सी. टू टियर अथवा उच्च श्रेणी से यात्रा हेतु अधिकृत राजकीय सेवक ए.सी. बस से यात्रा कर सकते हैं। अन्य कार्मिक डीलक्स/साधारण बस से यात्रा हेतु अधिकृत होगें।

(2) शासकीय गेस्ट हाउस/विश्राम गृहों/होटल आदि में अवस्थान की दशा में तालिका के स्तम्भ–6 अथवा 8 में अंकित धनराशि जैसी भी स्थिति हो, की अधिकतम सीमा तक दैनिक आधार पर अवस्थान भत्ता, स्तम्भ–7 अथवा 9, जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित दैनिक भत्ते के अतिरिक्त अनुमन्य होगा। इस सम्बन्ध में बिल/बाउचर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) उक्त तालिका के सतम्भ–7 अथवा 9 जैसी भी स्थिति हो, में अनुमन्य दैनिक भत्ता की गणना वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

(4) निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध होने पर ठहरने के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। होटल में यदि सुबह का नाश्ता प्रतिदिन के किराये में शामिल है तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 25 % की कटौती कर ली जायेगी। इसी प्रकार यदि होटल के अवस्थान में दो meals शामिल हैं तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 50 % की कटौती कर ली जायेगी।

इसी प्रकार यदि तीनों meals अवस्थान में शामिल हैं तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 75 %की कटौती कर ली जायेगी।

(4) निजी व्यवस्था में अवस्थान करने पर तालिका के स्तम्भ–6 अथवा 8 में अनुमन्य दरों के स्थान पर स्तम्भ– 7 अथवा 9, जैसी भी स्थिति हो, का 1.5 गुना दैनिक भत्ता प्रतिदिन के आधार पर अनुमन्य होगा। निजी व्यवस्था में अवस्थान करने पर अवस्थान भत्ता अतिरिक्त रूप में अनुमन्य नहीं होगा।

(6) आनुषांगिक व्यय की व्यवस्था समाप्त की जाती है।

(7) सड़क मार्ग से की जाने वाली लम्बी यात्राओं के लिये सड़क मील भत्ता की अनुमन्यता की शर्तें व दरें वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के प्राविधानानुसार पूर्ववत् रहेंगी।

(8) किन्हीं अन्य आदेशों/नियमों में व्यवस्था उपबन्धित होते हुए भी उपरिउल्लिखित तालिका में उल्लिखित दैनिक भत्ता/सड़क किलोमीटर भत्ता की अधिकतम दरें ही दैनिक आधार पर अनुमन्य होंगी अर्थात उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य दैनिक भत्ता/सड़क किलोमीटर भत्ता अतिरिक्त रूप से अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

(9) यात्रा पर जाते समय तथा गंतव्य स्थान से वापसी में, निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट के बीच की जाने वाली अल्प दूरी की यात्राओं के लिये सड़क किलोमीटर भत्ता उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–10 अनुरूप ग्राह्य होगा। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक उक्त स्थानीय/अल्प दूरी सम्बन्धी यात्राओं के लिए स्तम्भ–10 में उल्लिखित सड़क किलोमीटर भत्ते की धनराशि का 1.5 गुना अनुमन्य होगा। सड़क किलोमीटर भत्ता की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी।

(ख) स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	वेतन स्तर	यात्रा श्रेणी			सामान की अधिकतम सीमा एवं दर (30 पैसे प्रति कि.मी. प्रति कुन्तल)	एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान	स्थानान्तरण पर वाहन की ढुलाई की प्रतिपूर्ति
		हवाई	रेल	सड़क			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16 एवं उच्च	बिजनेस क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी /शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस /वोल्बो	60 कुन्तल	50 कि.मी. तक स्थानान्तरण होने की स्थिति में वेतन स्तर के न्यूनतम का 5% तथा 50 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण होने पर वेतन स्तर के न्यूनतम का 20% (अधिकतम रू0 25000/– धनराशि) एकमुश्त अनुदान के रूप में अनुगन्य होगी।	एक मोटर कार अथवा एक मोटर साईकिल /स्कूटर
2	13 ए, से 15	इकोनोमी क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी /शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस /वोल्बो	60 कुन्तल	–तदैव–	–तदैव–
3	10 से 13	–	ए.सी. टू टियर/ ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	60 कुन्तल	–तदैव–	–तदैव–
4	5 से 9	–	ए.सी. थ्री टियर/ ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	30 कुन्टल	–तदैव–	एक मोटर साईकिल / स्कूटर/मोपेड/साईकिल
5	1 से 4	–	स्लीपर क्लास/ साधारण चेयर कार	साधारण बस	15 कुन्टल	–तदैव–	–तदैव–

(10) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति पर भी उक्तानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा।

(11) विदेश यात्राओं हेतु भारत सरकार के प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

(12) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु वायुयान की श्रेणियां भारत सरकार में तत्समय् प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप होंगी।

(13) उक्त दरें दिनांक 01–02–2019 से लागू होंगी लेकिन इस शासनादेश के जारी होने एवं लागू होने की तिथि के मध्य की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रा समाप्ति की तिथि को लागू दरें प्रभावी होंगी। परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के लागू होने से पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका है, उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

(14) यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(15) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के सुसंगत नियमों में उक्तानुसार संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 18 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः —/XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक २३ जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) को निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक 01 फरवरी, 2019 से निम्नानुसार मकान किराया भत्ता को संशोधित/पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	वेतन लेवल/ग्रेड वेतन (रू0)	श्रेणी "बी–2" (देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल एवं रानीखेत के शहरी क्षेत्र	श्रेणी "सी" समस्त जनपदीय मुख्यालय, काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी कम काठगोदाम, रूड़की, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, कोटद्वार, ऋषिकेश, दुगड्डा, श्रीनगर के शहरी क्षेत्र	"अवर्गीकृत श्रेणी" कालम–3 व 4 के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र।
1	2	3	4	5
1.	18000–56900 (लेवल–1)	2500	2100	1800
2.	19900–63200 (लेवल–2)	2500	2100	1800
3.	21700–69100 (लेवल–3)	2500	2100	1800
4.	25500–81100 (लेवल–4)	2500	2100	1800
5.	29200–92300 (लेवल–5)	2650	2100	1800
6.	35400–112400 (लेवल–6)	3200	2500	1800
7.	44900–142400 (लेवल–7)	4050	3150	2250
8.	47600–151100 (लेवल–8)	4300	3350	2400
9.	53100–167800 (लेवल–9)	4800	3750	2700
10	56100–177500 (लेवल–10)	5050	3950	2850
11	67700–208700 (लेवल–11)	6100	4750	3400
12	78800–209200 (लेवल–12)	7100	5550	3950
13	123100–215900 (लेवल–13)	11100	8000	6200
14	131100–216600 (लेवल–13A)	11800	8000	6600
15	144200–218200 (लेवल–15)	12000	8000	7000
16	182200–224100 (लेवल–16)	12000	8000	7000
17	225000 (लेवल–17)	12000	8000	7000

2. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उत्तराखण्ड के बाहर नियुक्त है को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है।

3. संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।

4. ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) को, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात सेवा में नियुक्त हुए हो, के मकान

किराया भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों को इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

5. अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

6. यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से आदेश जारी किये जायेगें।

7. मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 19 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः —/XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक२३जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित भत्तों के सम्बन्ध में अपुनरीक्षित वेतनमानों में देय धनराशि को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी यथावत् रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) पर्वतीय विकास भत्ता
(2) सीमान्त विकास खण्ड भत्ता
(3) वाहन भत्ता
(4) सचिवालय विशेष भत्ता
(5) सचिवालय परिचारकों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता
(6) सचिवालय चालकों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता
(7) नागरिग उड्डयन निदेशालय, उत्तराखण्ड के पायलटों/अभियन्ताओं तथा कर्मचारियों को देय योग्यता भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, विशेष उड़ान भत्ता तथा ऐवियेशन भत्ता।
(8) पुलिस विभाग में कार्यरत कार्मिकों को वर्तमान में अनुमन्य पौष्टिक आहार भत्ता, वर्दी एवं धुलाई भत्ता
(9) चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत फार्मासिस्ट को अनुमन्य इंचार्ज भत्ता एवं धुलाई भत्ता
(10) नर्सिंग संवर्ग के कार्मिकों को नर्सिंग एवं बोर्डिग (पौष्टिक आहार भत्ता) भत्ता, वर्दी भत्ता एवं धुलाई भत्ता
(11) अति दुर्गम/दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों को अनुमन्य विशेष प्रैक्टिस बन्दी भत्ता
(12) राजस्व विभाग के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक को अनुमन्य स्टेशनरी भत्ता, गोशवारा भत्ता एवं कार्यालय किराया भत्ता।

2. नई नियुक्ति/पदोन्नति/एम0ए0सी0पी0 इत्यादि की स्थिति में पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्त भत्ते समतुल्य अपुनरीक्षित वेतनमान/वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के सापेक्ष अनुमन्य होंगे।
3. उपरोक्त भत्तों के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः २० (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः २१ /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक२३ जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित भत्तों को दिनांक 01–02–2019 से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता।
(2) प्रतिनियुक्ति भत्ता।
(3) प्रशिक्षण भत्ता।
(4) जी0 पी0 एफ0 पासबुक रखरखाव के लिए अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता।
(5) कैश (रोकड़) भत्ता।
(6) द्विभाषी भत्ता/कम्प्यूटर भत्ता।
(7) आई0पी0ए0ओ0 भत्ता (कोषागार/उपकोषागार)।
(8) सचिवालय में तैनाती पर विशेष भत्ता।
(9) स्नातकोत्तर भत्ता।
(10) राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों को देय लेखन सामग्री भत्ता।
(11) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नियोजन/डिजाइन/शोध/प्रशिक्षण अन्वेषणालय हेतु विशेष वेतन एवं सहायक प्रतिपूर्ति भत्ता।
(12) अपराध अनुसंधान एवं अभिसूचना विभाग में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन भत्ता।
(13) अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन भत्ता।
(14) स्पेशल टॉस फोर्स (एस.टी.एफ.) को अनुमन्य विशेष भत्ता।
(15) सतर्कता विभाग में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः २१ (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः —/XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक २३ जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–718/648/XX-1/10-174/02 दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए.टी.एस.) के नियमित कार्मिकों को स्वीकृत जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 फरवरी, 2019 से सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रू0 12500/– प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त भत्ता तैनाती अवधि में ही अनुमन्य होगा।

3. उपरोक्त भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः २२ (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः — /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2086/XX-1/13-11(04)/2013 दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदेश में स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स (एस0डी0आर0एफ0) में कार्यरत नियमित कार्मिकों को स्वीकृत जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 फरवरी, 2019 से सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रू0 12500/– प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त भत्ता तैनाती अवधि में ही अनुमन्य होगा।

3. उपरोक्त भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 23 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
10. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः —/XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक २३ जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–536/XX(8)/2015-07(1)/2010 दिनांक 13 जुलाई, 2015 द्वारा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा0 मुख्य न्यायाधीश एवं मा0 न्यायाधीशों की वैयक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित पुलिस कर्मियों को अनुमन्य "प्रोत्साहन भत्ता" की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 फरवरी, 2019 से सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रू0 12500/–प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त भत्ता तैनाती अवधि में ही अनुमन्य होगा।

3. उपरोक्त भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः २५ (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
10. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः — /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक २३ जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1073/836/XX-1/11-83/05 दिनांक 24 मार्च, 2011 द्वारा मा0 राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड की वैयक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित पुलिस कर्मियों को अनुमन्य ''प्रोत्साहन भत्ता'' की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 फरवरी, 2019 से सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रू0 12500/–प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त भत्ता तैनाती अवधि में ही अनुमन्य होगा।

3. उपरोक्त भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः २५ (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
10. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः —/XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक २३ जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित एलोपैथिक चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 20% "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" दिनांक 01 फरवरी, 2019 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. प्रशासनिक कार्यों में नियुक्त/कार्यरत चिकित्सक, यदि वे अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ सप्ताह में कम से कम दो दिन क्लीनिकल कार्य करते हैं, तो उन्हें भी उपरोक्त दरों पर "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" देय होगा।

3. उक्तानुसार स्वीकृत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता एवं मूल वेतन का कुल योग रू0 2,25000.00 (रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होगा।

4. प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः २६ (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः ✓ /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष विभाग के अन्तर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित आयुष चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 15% "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" दिनांक 01 फरवरी, 2019 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. प्रशासनिक कार्यों में नियुक्त/कार्यरत चिकित्सक, यदि वे अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ सप्ताह में कम से कम दो दिन क्लीनिकल कार्य करते हैं, तो उन्हें भी उपरोक्त दरों पर "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" देय होगा।

3. उक्तानुसार स्वीकृत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता एवं मूल वेतन का कुल योग रू0 2,25000.00 (रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होगा।

4. प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 27 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, आयुर्वेदिक, यूनानी सेवायें एवं होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः — /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में दिल्ली में तैनात राज्य सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों को शासनादेश संख्या–399/XXVII(7)/2009 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 द्वारा स्वीकृत परिवहन भत्ता की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि रू0 में)

क्र.सं.	वेतन मैट्रिक्स लेवल	परिवहन भत्ता प्रतिमाह
1	2	3
1	वेतन मैट्रिक्स लेवल– 10 व उससे ऊपर	5000/–
2	वेतन मैट्रिक्स लेवल– 7 एवं 8	2500/–
3	वेतन मैट्रिक्स लेवल– 6 व उससे नीचे	1000/–

2. यह भत्ता केवल उत्तराखण्ड राज्य सरकार के दिल्ली में तैनात नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को ही अनुमन्य होगा तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा वाहन उपलब्ध कराया गया है, उन्हें उक्तानुसार परिवहन भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 28 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्याः —/XXVII(7)/18–50(14)/2017

सेवा में,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019**

विषयः– राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणाधीन/स्वामित्वधीन आवासों के किराये (फ्लैट रेन्ट) का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणाधीन/स्वामित्वाधीन समस्त आवासों, जिनका आवंटन अधीनस्थ कार्मिकों को किया जाता है, हेतु वर्तमान में निर्धारित ''फ्लैट रेन्ट'' की दरों में चार गुना वृद्धि दिनांक 01 फरवरी, 2019 से राज्य सम्पत्ति विभाग के शासनादेश संख्या–1634 दिनांक 04 जनवरी, 2019 के अनुरूप किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। पूर्व निर्धारित शेष शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 29 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक, शहरी विकास विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्याः 29 /XXVII(7)/18–50(14)/2017

सेवा में,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019**

विषयः– राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणाधीन/स्वामित्वधीन आवासों के किराये (फ्लैट रेन्ट) का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणाधीन/स्वामित्वाधीन समस्त आवासों, जिनका आवंटन अधीनस्थ कार्मिकों को किया जाता है, हेतु वर्तमान में निर्धारित ''फ्लैट रेन्ट'' की दरों में चार गुना वृद्धि दिनांक 01 फरवरी, 2019 से राज्य सम्पत्ति विभाग के शासनादेश संख्या–1634 दिनांक 04 जनवरी, 2019 के अनुरूप किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। पूर्व निर्धारित शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक, शहरी विकास विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।